भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 5291

05 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

प्राथमिक सहकारी बैंकों में नियुक्ति के मानदंड

5291. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में नियुक्ति के मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की जून, 2021 में जारी परिपत्र क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त परिपत्र संसद सदस्यों, विधायकों तथा म्युनिसिपल कॉपोरेटरों शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेश का पद धारण करने से वर्जित करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या उससे छद्म नियुक्ति का दरवाजा नहीं खुलता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इससे सहकारी क्षेत्र का केन्द्रीकरण होगा तथा यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा संशोधित) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत 25 जून 2021 के परिपत्र के माध्यम से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी) / पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। । उपरोक्त परिपत्र के पैरा 3.5 में कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। वे शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पद पूर्णकालिक रोजगार की प्रकृति के हैं।

******